

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एस.जी.के.जी./2017-18/94/ ५५८९-२ दिनांक ४.०८.२०१७

विषय : समुदाय स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर "स्वस्थ गांव खुशहाल गांव" घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सूचकांकों के सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में सुधार लाने के लिये स्वास्थ्य इकाईयों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ समुदाय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों में भी उत्तरोत्तर सुधार लाया जा रहा है। समुदाय स्तर पर आशा योजना एवं अन्य सामुदायिक संस्थायें जैसे पंचायती राज, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, स्वयं सहायता समूह, मातृ समूह आदि के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी गतिविधियाँ जैसे-ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, पोषण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से ही स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाया जा सकता है। इसी क्रम में प्रदेश में ऐसे गाँवों को "स्वस्थ गांव खुशहाल गांव" के रूप में विकसित करने हेतु चरणबद्ध कार्य योजना बनायी गयी है।

विकास खण्ड क्षेत्र के उन गाँवों में यह लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाये जहाँ उपरोक्त सेवाओं का आच्छादन बेहतर हो अथवा वह गाँव जो खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित हो चुके हों। इसके उपरान्त उन गाँवों में निम्न पॉच सूचकांकों पर नियमित अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाये जिससे उपलब्धियों को लम्बे समय तक बनाये रखा जा सके। जिन गाँवों द्वारा निर्धारित पॉच सूचकांकों पर लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी हो, वहाँ के ग्राम प्रधान एवं प्रथम पंक्ति की स्वास्थ्य कार्यक्रमियाँ (ए.एन.एम. एवं आशाओं) को सम्मानित किया जायेगा। इसी प्रकार जिन ब्लॉकों/जनपदों के अधिकतम गाँवों में उपरोक्तानुसार लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो ऐसे ब्लॉकों/जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों को भी सम्मानित किये जाने की योजना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./बी.सी.पी.एम. /2013-14/64/9998-75 दिनांक 16.02.2017 एवं 1068-75 दिनांक 15.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 1000 गाँवों को "स्वस्थ गांव खुशहाल गांव" के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वस्थ गांव खुशहाल गांव घोषित किये जाने के मानक :-

"स्वस्थ गांव खुशहाल गांव" विकसित किये जाने हेतु निम्नलिखित पॉच मानक प्राप्त करना अनिवार्य है -

1. 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में पंजीकरण।
2. 90 प्रतिशत गर्भवती माताओं की पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (कम से कम 3 बार जॉच, 2 टी.टी. के टीके व कम से कम 100 आई.एफ.ए. टैबलेट्स)।
3. 90 प्रतिशत गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव।
4. 90 प्रतिशत नवजात शिशुओं का पंजीकरण।
5. 90 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण (1-2 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे)।

नोट :- उपरोक्त समस्त सूचनाओं का अंकन एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर होना अनिवार्य है।

स्थलीय/भौतिक सत्यापन तथा अनुश्रवण व्यवस्था :-

जिन गांवों में निर्धारित पांच सूचकांकों की उपलब्धि 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो एवं इन सूचकांकों की अद्युनान्त सूचना एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर अंकित की जा चुकी हो, की सूचना प्रत्येक माह की 1 तारीख को अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संलग्नक-4 पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संलग्नक-5 पर जनपद की संकलित सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख को मण्डलीय अपर निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर मण्डल स्तर पर निम्नानुसार सत्यापन दल का गठन किया जायेगा—

1. सम्बन्धित रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा)।
2. मण्डल के किसी अन्य जनपद के जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक।
3. जनपद के अन्य विकास खण्ड के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी।
4. जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि।

मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा सत्यापन दल में संयुक्त निदेशक अथवा अन्य जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

सत्यापन दल के भ्रमण के लिये एम. एण्ड ई. अनुभाग द्वारा जनपद को उपलब्ध कराये गये वाहन का उपयोग किया जायेगा। दल द्वारा स्थलीय/भौतिक सत्यापन के समय निम्न तथ्यों को ध्यान रखना आवश्यक होगा :—

- घरों के सत्यापन से पूर्व सत्यापन दल द्वारा ब्लाक/जनपद स्तर से एम.सी.टी.एस. पोर्टल पर अंकित चिन्हित गाँव की ऐसी माताओं की सूची प्राप्त की जायेगी जिनका प्रसव विगत 2 वर्षों में हुआ हो। इस सूची में से ऐसी माताओं की सूची पृथक कर ली जाये जिनका प्रसव विगत 7 माह में, एक वर्ष में तथा जिनका प्रसव दो वर्ष पूर्व हुआ हो।
- चिन्हित गाँव में सर्वप्रथम पिछले 7 माह में प्रसव करायी गयी माताओं वाले कम से कम 10 घरों का रैण्डम आधार पर सत्यापन निर्धारित साक्षात्कार अनुसूची पर अवश्य किया जाये। (संलग्नक-2)
- तत्पश्चात् चिन्हित गाँव के उन 10 घरों का रैण्डम आधार पर सत्यापन निर्धारित साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर अवश्य किया जाये जहाँ 1-2 वर्ष के बच्चे हों। (संलग्नक-3)
- यदि उपरोक्त घरों में सत्यापन करने पर निर्धारित मानक 90 प्रतिशत या उससे अधिक पाया जाता है, तो गाँव को “स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” घोषित किया जायेगा।

सत्यापन के उपरान्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से माह में सत्यापित स्वरथ गाँव खुशहाल गाँव की संकलित सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख को संलग्नक-6 पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित की जायेगी।

सत्यापन के उपरान्त सूचना प्राप्त होने पर घोषित किये गये गाँवों की संख्या के अनुसार धनराशि एफ.एम.आर. कोड संख्या-बी 14.29 के अन्तर्गत राज्य स्तर से सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जायेगी।

स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव कार्यक्रम :—

प्रथम स्तर :—

निर्धारित मानकों पर सत्यापित किये गये गाँवों को पुरस्कृत किया जायेगा। इस पुरस्कार में घोषित गाँव को कुल रु 50000.00 की धनराशि प्रदान की जानी है। रु 30000.00 सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को असम्बद्ध धनराशि के रूप में प्रदान की जायेगी। रु 20000.00 की धनराशि का 20 प्रतिशत सम्बन्धित ग्राम प्रधान को तथा शेष धनराशि को ए.एन.एम. एवं आशा कार्यक्रियों की संख्या के आधार समान रूप से प्रदान की जायेगी।

उदाहरण जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरिसिया में उपकेन्द्र मोतीपुर कला के गाँव मोतीपुर कला को “स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” घोषित किया गया है। इस गाँव की जनसंख्या 4351 है। ग्राम प्रधान का नाम श्री रामजी है। उपकेन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम. श्रीमती दमयन्ती मौर्या है। मोतीपुर कला गाँव में कुल तीन आशायें (श्रीमती सीता देवी, श्रीमती माधी एवं श्रीमती विसनी) कार्यरत हैं। पुरस्कार धनराशि रु0 50000.00 का वितरण इस प्रकार किया जायेगा। रु0 30000.00 की धनराशि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति मोतीपुर कला को असम्बद्ध धनराशि के रूप में प्रदान की जायेगी। रु0 20000.00 की 20 प्रतिशत धनराशि रु0 4000.00 ग्राम प्रधान श्री रामजी को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रु0 16000.00 को 1 ए.एन.एम. व 3 आशाओं में समान रूप से कुल चार भागों में विभक्त कर प्रत्येक को रु0 4000.00 की धनराशि प्रदान की जायेगी। उक्त सभी धनराशि ब्लाक स्तर से पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही सम्बन्धित खातों में अवमुक्त की जायेगी।

पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की असम्बद्ध धनराशि का उपयोग—

इसके अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि रु0 30000.00 का उपयोग निम्न गतिविधियों हेतु उपयोग किया जा सकता है :—

- गाँव के मुख्य मार्ग पर “स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” का बोर्ड लगवाना। (संलग्नक –1)
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का सुदृढ़ीकरण (तखत / चौकी, चादर, कुर्सी, मेज, बैंच, चटाई, दरी, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु वाटर कैग, पर्दा इत्यादि)।
- समय—समय पर ग्राम स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया जाना एवं लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक करना।
- गाँव के मुख्य स्थलों (अधिकतम दृश्यता) पर वी.एच.एन.डी. के रोस्टर एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना की वाल पेन्टिंग कराना।
- स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बरों एवं पोषण पुर्नवास केन्द्र की सेवाओं एवं सम्पर्क सूत्र की वाल पेन्टिंग कराया जाना।
- ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न भ्रौंतियों को दूर करने के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन।
- गाँव के छात्रों के मध्य स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, हैण्डवासिंग, इत्यादि विषयों पर पेन्टिंग इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान कर किये जा सकते हैं।
- मच्छरों का प्रजनन कम करने के लिए समय—समय पर छिड़काव कराया जाना।
- बेसहारा एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिये मच्छरदानी की व्यवस्था किया जाना।
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके गाँव में ही विशेषज्ञ स्तर की सेवायें प्रदान करवाना।
- विद्यालयों/आंगनबाड़ी केंद्रों और उपकेंद्रों में सुधार करना जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन में सुगमता हो।
- गाँव के 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिये स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन करके शिशु के माता—पिता को सम्मानित किया जाना।
- परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श दम्पत्तियों को सम्मानित किया जाना।
- गर्भवती महिलाओं के मध्य बैठक कर सबसे अधिक हीमोग्लोबिन पायी जाने वाली महिलाओं सम्मानित किया जाना।
- स्वास्थ्य एवं सामाजिक कारकों हेतु जनजागरूकता (रैली) किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन।

द्वितीय स्तर :—

इसी प्रकार जिस विकास खण्ड से सबसे अधिक गाँवों को चिन्हित किया जायेगा, उस विकास खण्ड के ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य विभाग (प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, एम.सी.टी.एस. ऑपरेटर) एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों सी.डी.पी.ओ., ए.डी.ओ. पंचायत को जनपद स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि यदि एक से अधिक

विकास खण्डों द्वारा समान संख्या में गाँवों को "स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव" घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस विकास खण्ड के गाँवों द्वारा सबसे अधिक जनसंख्या का आच्छादन किया जा रहा है। उस विकास खण्ड को जनपद स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। जनपद स्तर पर पुरस्कार हेतु कुल रु0 25000.00 की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ए.डी.ओ. पंचायत एवं सी.डी.पी.ओ. को रु0 5000.00 तथा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रतिरक्षण अधिकारी (आई.ओ.), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एम.सी.टी.एस. ऑपरेटर को रु0 2500.00 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

तृतीय स्तर :—

राज्य स्तर पर प्रदेश के उन पाँच जनपदों को चिह्नित किया जायेगा जिनमें सबसे अधिक गाँवों को स्वस्थ एवं खुशहाल गाँव घोषित किया गया हो। उक्त जनपदों के प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि यदि एक से अधिक जनपदों द्वारा समान संख्या में गाँवों को "स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव" घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस जनपद के गाँवों द्वारा सबसे अधिक जनसंख्या का आच्छादन किया जा रहा होगा। उस जनपद को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। इस आयोजन में प्रदेश के सबसे अधिक "स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव" वाले दस विकास खण्डों के सम्बन्धित अधिकारियों को सम्मानित किये जाने की योजना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि अपने निर्देशन में उपरोक्तानुसार दल का गठन कर चिह्नित गांवों का स्थलीय/भौतिक सत्यापन कराके सूचना अधोहस्ताक्षरी को vhsncup@gmail.com पर प्रेषित करें जिससे इन गांवों को "स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव" घोषित किया जा सके। साक्षात्कार अनुसूची, प्रपत्र एवं जनपदों से प्राप्त "स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव" की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,


 (आलोक कुमार)
 मिशन निदेशक
 तददिनांक

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./एस.जी.के.जी./2017-18/94

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज/बाल विकास एवं महिला कल्याण/ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू.—एन.एच.एम., उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन.एच.एम., उ0प्र0।
8. समस्त रीजनल कोआर्डिनेटर (आशा), एन.एच.एम., उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन.एच.एम., उ0प्र0।


 (आलोक कुमार)
 मिशन निदेशक

“स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” के बोर्ड का प्रोटोटाइप

“स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव”

ग्राम का नाम.....

ग्राम सभा का नाम

ग्राम प्रधान का नाम

उपकेन्द्र

विकास खण्ड

जनपद.....(उत्तर प्रदेश)



वर्ष – 2017–18

पिछले 6 माह में प्रसव कराये गये माताओं से पूछे जाने वाले प्रश्न

गाँव का नाम उपकेन्द्र का नाम

ब्लॉक स्टरीय सी.एच.सी./पी.एच.सी. का नाम जनपद का नाम

लाभार्थी का नाम

लाभार्थी का एम.सी.टी.एस. कोड

ए.एन.एम. का नाम

सहयोगी आशा का नाम

गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी प्रश्न

| | | |
|---|--|---|
| 1 | क्या आशा / ए.एन.एम. द्वारा पंजीकरण कराया गया है? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 2 | क्या आप वर्तमान गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जाँच के लिए किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र / वी.एच.एन.डी. में गयी थी? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 3 | वर्तमान गर्भावस्था के दौरान आपकी कितनी बार प्रसव पूर्व जाँच हुई? | (संख्या लिखें) |
| 4 | गर्भावस्था के किस महीने में पहली प्रसव पूर्व जाँच हुई? | पहली जाँच में गर्भावस्था का माह |
| 5 | क्या आपको गर्भावस्था के दौरान टी.टी. के दो टीके लगे थे? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 6 | क्या आपको वर्तमान गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 आई.एफ.ए. की गोलियां मिली थीं? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 7 | वर्तमान गर्भावस्था के दौरान क्या आपने इनमें से किसी भी समस्या का अनुभव किया है? | उच्च रक्तचाप 1 मधुमेह 2 प्रसव पूर्व रक्तस्राव 3 मलेरिया 4 रक्तअल्पता (<11 Hb) 5 गम्भीर रक्तअल्पता (< 7 Hb) 6 अन्य 7 |
| 8 | प्रसव के लिए कहां गयी थी? | जिला अस्पताल 1 सी.एच.सी. 2 बी.पी.एच.सी. 3 पी.एच.सी./ए.पी.एच.सी. 4 उपकेन्द्र 5 यू.पी.एच.सी./यू.पी.एच.सी. 6 अन्य सरकारी चिकित्सालय 7 प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम 8 घर 9 अन्य 10 |
| 9 | क्या नवजात को एम.सी.टी.एस. में पंजीकृत कराया गया है? | हाँ 1 नहीं 2 (यदि हाँ तो एम.सी.टी.एस. संख्या) |

12-23 माह के बच्चों के सम्बन्ध में माँ से पूछे जाने वाले प्रश्न

गाँव का नाम उपकेन्द्र का नाम

ब्लॉक स्टरीय सी.एच.सी./पी.एच.सी. का नाम जनपद का नाम

बच्चे का नाम

बच्चे का एम.सी.टी.एस. आई0डी0 नं0

बच्चे की जन्म तिथि

माँ का नाम

माँ का एम.सी.टी.एस. आई0डी0 नं0

ए.एन.एम. का नाम

सहयोगी आशा का नाम

टीकाकरण

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | जन्म के बाद या एक वर्ष की आयु के भीतर तपेदिक के खिलाफ बी0सी0जी0 का टीका बच्चे को हाथ या कंधे में इंजेक्शन के रूप में दिया गया था? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 2 | बच्चे को कितनी बार ओ.पी.वी. की खुराक दी गयी? | संख्या |
| 3 | बच्चे को पेंटावेलेण्ट के कितने इंजेक्शन लगाये गये हैं? | संख्या |
| 4 | क्या बच्चे को खसरा की प्रथम खुराक (इंजेक्शन) दी गयी थी? | हाँ 1 नहीं 2 |
| 5 | क्या बच्चे को खसरा के टीके के साथ विटामिन ए की खुराक प्राप्त हुई थी? | हाँ 1 नहीं 2 |

“स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” ब्लाक स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

| क्रमांक | जनपद का नाम | विकास खण्ड का नाम | उपकेन्द्र का नाम | घोषित गाँव का नाम | गाँव की जनसंख्या | गाँव में कुल आशाओं की संख्या |
|---------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
सामु० / प्रा० स्वा० केन्द्र.....

“स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” जनपद स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

| क्रमांक | जनपद का नाम | विकास खण्ड का नाम | उपकेन्द्र का नाम | घोषित गाँव का नाम | गाँव की जनसंख्या | गाँव में कुल आशाओं की संख्या |
|---------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद.....

“स्वस्थ गाँव खुशहाल गाँव” मण्डल स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

मण्डल का नाम -

| क्रमांक | जनपद का नाम | विकास खण्ड का नाम | उपकेन्द्र का नाम | घोषित गाँव का नाम | गाँव की जनसंख्या | गाँव में कुल आशाओं की संख्या |
|---------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | |

रीजनल कोआर्डिनेटर

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण